फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मन्दिर मूर्ति श्री [illegible] बनाम प्रभुदास वगै०

मुकदमा नम्बर :– /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	7/6/24	वकीलों द्वारा आज [illegible] / कार्य स्थगित रखे ज[illegible] पत्रावली मय आज्ञानुसार दिनांक 28/6/24 को पेश हो	
	28/6/24	प.क. उप. समय अभाव के कारण आदेश जारी नहीं हो सकता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 4/7/24 को पेश हो।	
	4/7/24	प.क. उप. बहस हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक: 29/7/24 को पेश हो।	
	29/7/24	प.क. उप. अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–49/2015

उनवान

मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी बिराजमान, ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, जरिए वाद मित्र गोपालदास, जाति स्वामी, निवासी ग्राम कंवरपुरा, त0 चौमूं, जिला जयपुर (पुजारी)।

–वादी

बनाम

1. प्रभुदास पुत्र घीसादास
2. मु0 गीता देवी पत्नि नन्दादास
3. छोटूदास पुत्र नन्दादास (मृतक नाम हजफ किया गया)
4. सागरमल पुत्र नन्दादास
   समस्त जाति स्वामी गोस्वामी, निवासी ग्राम कुम्भपुरिया, पटवार हल्का नांगलकोजू, त0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती एवं स्थायी निषैधाज्ञा

अधीन धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 29.07.2024

वादीगण ने उक्त वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी मन्दिर श्री रघुनाथजी अनेकों वर्षो पूर्व से ग्राम कंवरपुरा में स्थित है जो मन्दिर मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क (Perpetual Minor) है जिसकी सम्पत्तियों की व्यवस्था वाद मित्र व उसके परिवार के सदस्यें के द्वारा की जाती है तथा मूर्ति मन्दिर की पूजा अर्चाना पीढी दर पीढी वाद मित्र व परिवार द्वारा की जाती रही है। वादी मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की माफी की भूमियां ग्राम कंवरपुरा व कुम्भपुरिया में स्थित है जिनके हाल खसरा नम्बर 1529 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1530 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1531 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1532/1587 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1540/1885 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1541 रकबा 0.39 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 687 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 का कुल रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा से बने है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 262 व 263 से बने हाल खसरा नम्बर 920 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 922 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.66 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 924/1888 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 928/1889 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर है जो भूमियां मन्दिर मूर्ति के खातेदारी के गै०मु० चाह खसरा नम्बर क्रमशः 1528 व 924 से सिंचित हो रही है जो साबिक खसरा नम्बर 261 व 688 से बने है। यद्यपि वादी की खातेदारी की अन्य भूमियां भी स्थित है परन्तु इस वाद में ये भूमियां ही विवादग्रस्त है। ग्राम कंवरपुरा से ही नया राजस्व ग्राम कुम्भपुरिया सृजित हुआ है पहले ग्राम कंवरपुरा ही राजस्व ग्राम था तथा ग्राम में स्थित मन्दिर की सेवा व पूजा अर्चना वाद मित्र के पूर्वज व प्रतिवादीगण के पूर्वज करते थे लेकिन मुख्य पुजारी वाद मित्र के पूर्वज दुर्गादास पुत्र नन्दादास स्वामी थे तथा मन्दिर की खातेदारी काश्त की भूमियों की व्यवस्था प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसादास पुत्र बालदास भी करते थे जो केवल एक व्यवस्थापक थे जिस कारण त्रुटिवश बाद में विवादित भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम हो गई जबकि मन्दिर मूर्ति की भूमियों किसी प्रकार भी पूजारी अर्थात् व्यवस्थापक की खातेदारी में हो ही नहीं सकती और मन्दिर मूर्ति की खुद काश्त ही होती है। गलत अंकन के कारण प्रतिवादीगण विवादित भूमियों को दीगर व्यक्तियों को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है जिस कारण वादी मन्दिर मूर्ति को भारी क्षति होगी तथा उसकी सम्पत्तियां नष्ट हो जायेगी तथा मूर्ति मन्दिर की सेवा, पूजा, अर्चना व रख, रखाव ही असम्भव हो जायेगा, जिस कारण मूर्ति मन्दिर की भूमियों की सुरक्षा हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। हाल ही में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 दिनांक 27.06.2015 को कुछ अजनबी लोगों को विवादित भूमियों पर लेकर आये तथा दिखाने लगे तो वाद मित्र ने उन्हें भूमियां दिखाने का कारण पूछा तो उन्होनें बताया कि भूमियों का बैचान कर रहे है जिस पर अजनबी व्यक्तियों को बताया गया कि ये भूमियों मन्दिर माफी की है तो उन्होंने कहा कि सौदा उचित मूल्य पर हो जायेगा तो हम खरीद लेंगे चाहे जमीन मन्दिर माफी की हो। हमारा यह रोजाना का काम है तथा प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी कि चाहे गलती से ही है भूमियां हमारे नाम है जिनको हम भू व्यापारियों को हस्तान्तरण कर देंगे जो ताकत के बल पर कब्जा कर लेंगे।

वादीगण ने वादी प्रस्तुत कर इस प्रकार अनुतोष चाहा है वादी का वाद बहक वादी व विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त वाके ग्राम कंवरपुरा व कुम्भपुरिया का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 भूमियों की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें तथा विवादग्रस्त आराजी का किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में किसी प्रकार हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादी मन्दिर को उत्पादन के उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अन्तरण दस्तावेज न तो ग्रहण करें और ना ही पंजीकृत करें तथा प्रतिवादी संख्या 6 मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत कायम रखावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि विवादग्रस्त या इनके गत खसरा नम्बर की भूमियों कभी माफि मन्दिर की नही रही, ना ही कभी मन्दिर का कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग नही रहा बल्कि खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 3 की माता के नाम हैं एवं कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग प्रारम्भ से प्रतिवादी संख्या 1 का था व आज भी हैं, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम कुम्भपुरियां में स्थित मन्दिर रघुनाथ जी के पुजारी व्यवस्थापक एकमात्र रुप से प्रतिवादी संख्या 1 है जो निरन्तर सेवा–पूजा करता चला आ रहा हैं, ग्राम कंवरपुरा में स्थित मन्दिर रघुनाथ जी का पुजारी वादी हैं, जिनकी कोई जमीन ग्राम कुम्भपुरियां में नहीं हैं, ना ही ग्राम कंवरपुरा में है। ग्राम कंवरपुरा में स्थित जमीन खातेदारी की हैं, जिसके प्रतिवादीगण भी खातेदार हैं, मन्दिर की भूमियां कभी भी प्रतिवादीगण के नाम नहीं हुयी, ना ही वाद में वर्णित भूमिया मन्दिर की हैं। उक्त भूमियां प्रतिवादीगण संख्या 1,2, 4 व 3 की माता की खातेदारी में है व कब्जा एकमात्र प्रतिवादी संख्या 1 का हैं जिनकों बेचान, हस्तान्तरण करने का, उपयोग–उपभोग करने का समस्त हक अधिकार को प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 3 छोटूराम जिनका देहान्त करीब 10 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुका हैं, जिसको वादी ने वाद में पक्षकार बनाया हैं, वाद कारण बताया हैं एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया हैं एवं मृतक व्यक्ति के विरुद्ध दावा पेश किया है, जिसको खारिज किया जावें। तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ग्राम कुम्भपुरिया के हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 1529, 1530, 1531, 1531/1887, 1540/1885, 1541 किता 06 का कुल रकबा 1.31 है0 की खातेदारी धर्मेन्द्र पुत्र प्रभुदास हिस्सा 1/3 प्रभुदास पुत्र घीसादास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी बिला रहन सुरेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/6 राहिन डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड हरमाडा जयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल खसरा नम्बर 1529, 1530, 1531 गत खसरा नम्बर 687 से बने है। एवं खसरा नम्बर 1532/1887, 1540/1885, 1541 गत खसरा नम्बर 685 से बने है। गत खसरा नम्बर 685, 687 की खातेदारी कॉलम संख्या 4 में माफि मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान देह पुजारी दुर्गादास वलद नन्दादास स्वामी दर्ज रिकॉर्ड है। एवं कॉलम सं0 05 में घीसादास बल्द भगवान दास स्वामी एवं घीस्यादास वल्द बालदास स्वामी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम कुम्भपुरिया के हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से के खाता 62 में खसरा न... 15.. रकबा 0.01 गै0मु0चाह की खातेदारी मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान देह हिस्सा ... खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम कंवरपुरा के हाल जमाबन्दी संवत् 2075 से के खाता सं... 129, खसरा नम्बर 920, 221,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

922, 923, 924/1888, 928/1889 किता 06 रकबा 1.24 है0 की खातेदारी मु0 गीता देवी पत्नि नन्दादास, छोटूदास, सांवरमल पिता नन्दा हिस्सा 1/2, प्रभुदास पुत्र घीसादास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। हाल जमाबन्दी खाता संख्या 129 पर माफी मन्दिर का पैन्सिली नोट लगा हुआ है। हाल खसरा नम्बर 920, 921, 922, 923, 924/1888, 928/1889 के गत खसरा नम्बर 262 से बने है। गत खसरा नम्बर 262 के खाता संख्या 142 की खातेदारी कॉलम संख्या 4 में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ श्री विराजमान देह पुजारी दुर्गादास बल्द नन्दाराम स्वामी एवं कॉलम संख्या 5 में घीसादास वल्द भगवानसहाय स्वामी एवं घीसादास वल्द बालदास जाति स्वामी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी खाता संख्या 142 की जमाबन्दी अवलोकनार्थ संलग्न है। ग्राम कंवरपुरा के हाल खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 924 की खातेदारी मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान देह हिस्सा पूर्ण खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी द्वारा जरिये पुजारी वाद मित्र होने के आधार पर घोषणा चाही है जबकि विवादित भूमि पूर्व साबिक रिकॉर्ड सम्वत् 2004–2023 के अनुसार माफि मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान देह पुजारी दुर्गादास वल्द नन्दादास सवामी सा0 देह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी एवं वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित भूमि में वादी के द्वारा विरासत के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट होता हो की वादी पूर्व साबिक रिकॉर्ड सम्वत् 2004–2023 माफि मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान देह पुजारी दुर्गादास वल्द नन्दादास सवामी सा0 देह, का वारिस है। वादी के द्वारा उक्त विवादित भूमि में कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग करने सम्बन्धित दस्तावेजात आदि प्रस्तुत नही किये गये है। एवं ना ही अपने वाद में उल्लेखित किये गये है। तथा वर्तमान रिकॉर्ड में उक्त भूमि जमाबन्दी में मन्दिर माफी सम्बन्धि पेन्सीली नोट अंकित है। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिक है तथा विवादग्रस्त आराजीयात मन्दिर माफी व राजकीय प्रतिबन्धित भूमि है। उक्त भूमि माफी मन्दिर की भूमि है, इसलिए वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रेकार्ड नियम से दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kogu
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

बउनवानः— बालूराम बनाम श्रीनारायण
मुकदमा :— नम्बर 125/73/2007
निर्णय दिनांक :— 03.06.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला—जयपुर
पीठासीन अधिकारी —: रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—49/2015

उनवान

मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी बिराजमान, ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, जरिए वाद मित्र गोपालदास, जाति स्वामी, निवासी ग्राम कंवरपुरा, त0 चौमूं, जिला जयपुर (पुजारी)।
—वादी

बनाम

1. प्रभुदास पुत्र घीसादास
2. मु0 गीता देवी पत्नि नन्दादास
3. छोटूदास पुत्र नन्दादास (मृतक नाम हजफ किया गया)
4. सागरमल पुत्र नन्दादास
समस्त जाति स्वामी गोस्वामी, निवासी ग्राम कुम्भपुरिया, पटवार हल्का नांगलकोजू, त0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः— 29.07.2024

मुकदमा नं0:—49/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा ... की मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी ... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.07.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बउनवान:— बालुराम बनाम श्रीनारायण
मुकदमा :— नम्बर 125/73/2007
निर्णय दिनांक :— 03.06.2024

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4......रूपये पर प्लीडर कह फीस 5.साक्षियों के लिये निर्वाह—व्यय 6.कमिशनर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	2 1	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2.अर्जी के लिये स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिये निर्वाह—व्यय 5.कमिशनर की फीस 6.आदेशिका की तामिल	2
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner